

27/3/19

पत्रावली पेशा हुई। अपीलान्ट या अपीलान्ट
के आधीवमता अनुपास्थित। आवाजे दिलवाई
गई फिर भी अपीलान्ट या अपीलान्ट के
आधीवमता उपास्थित नहीं हुए। न्यायालय
के उठने तक भी अपीलान्ट या अपीलान्ट
के आधीवमता उपास्थित नहीं आये। अतः
प्रकरण अरम पेस्वी अरम राजरी में
रवारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय मन्सूर जिल्ला अदालत सभ (गोप्य आधेवत अरम)
निर्णय क्रम 38 अरम
27/3/19
दिनांक 27/3/19
तहसील अरम
(प्रशासक)